भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

— : प्रथम प्रति : —

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 545955

10/-

IV-381/2019

राघवेन्द्र प्रताप सिंह

26 JUN 2019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 410665

ट्रस्ट–विलेख

एस0आर0एस सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन

हम कि राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शंकर बक्श सिंह निवासी 888ए, 10 नम्बर बोरिंग, नथमलपुर लच्छीपुर, गोरखनाथ अरजी मोहम्मदपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश-273015 का हूँ। जोकि एस0आर0एस सोशल वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट का संस्थापक/आथर है

हस्ताक्षर पठन कर्ता
हस्ताक्षर तुलना कर्ता

उप निबन्धक

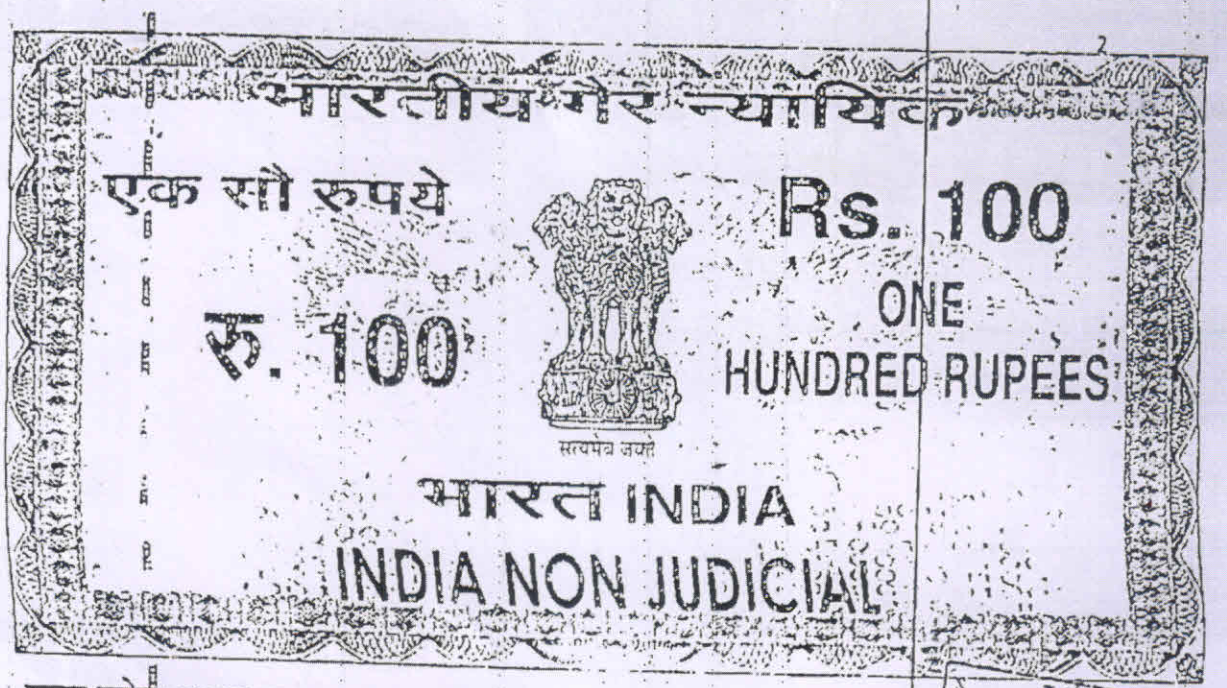

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एंव शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने के लिंग भेद, जाति-पाति छूआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हों। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये, विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा

हस्ताक्षर पठन कर्ता......

हस्ताक्षर तुलना कर्ता......

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 324893

इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रू0 11111/-रू0 (ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपया) का एक कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहें है, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी:-

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम एस0आर0एस सौशल वेलफेयर फाउण्डेशन होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे ''न्यास'' या ''ट्रस्ट'' शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय 171, हिन्दू भवन, शाहपुर, डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रुप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के

हस्ताक्षर पठन कर्ता
हस्ताक्षर तुलना कर्ता

उप निबन्धक (सदर)

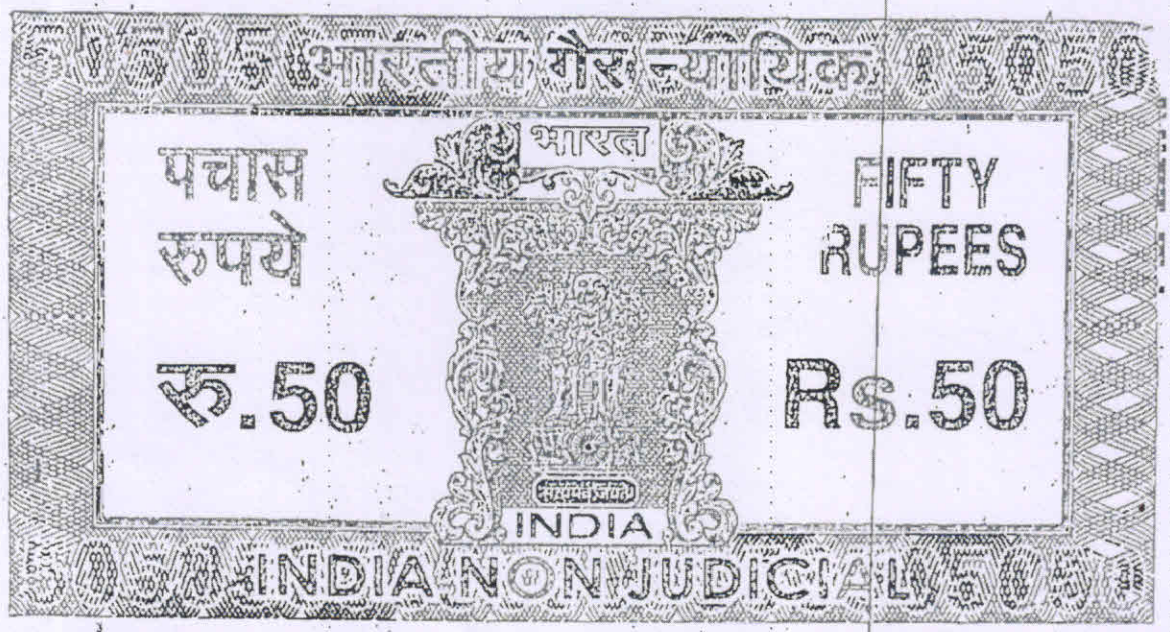

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 606277

अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत व सम्पूर्ण विश्व होगा।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापन व मुख्य ट्रस्टी होगें तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा, जिनकी कुल संख्या 2 से कम तथा 11 से अधिक नहीं होगी। ट्रस्टी का पद किसी भी दशा में लाभ का नहीं होगा और न ही इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद किया जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों को भी नामित किया जा सकेगा। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टीगण तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा संस्थापक/ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

हस्ताक्षर पठन कर्ता......

हस्ताक्षर सुनाने कर्ता......

उप निबन्धक (सदर) लखनऊ

1. संस्थापक/आथरः- राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 शंकर बक्श सिंह निवासी 888ए, 10 नम्बर बोरिंग, नथमलपुर लच्छीपुर, गोरखनाथ आरजी मोहम्मदपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश-273015
2. ट्रस्टी/न्यासीः- प्रवीण कुमार पाण्डेय पुत्र श्री श्रीनिवास पाण्डेय निवासी 403, ए ब्लाक, हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग, अम्बेश्वरी पैराडाइज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273001
3. ट्रस्टी/न्यासीः- प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्व0 राम नारायन सिंह निवासी सी-976, पावर हाउस रोड मोहद्दीपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273008। हाल निवासी- ई-120 रवीन्द्र गार्डेन, अलीगंज, कपूर थला, लखनऊ 226024।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "एस0आर0एस सोशल वेलफेयर फाउंडेशन" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

1. समाज की उन्नति शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा प्रदान करना, स्कूल एवं कालेज खोलना जिससे कि लोगों का आर्थिक, मानसिक एवं भौतिक विकास हो सके।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, विकलांगों, निर्धन, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति आदिवासी क्षेत्र तथा पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को सिलाई, कढ़ाई, साक्षरता एवं अन्य सभी कार्य जो उनके उत्थान के लिए आवश्यक हो निः शुल्क रूप से उपलब्ध कराना।
3. ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास हेतु समस्त कार्य करना।
4. मानवता को आदर्श मानकर, अध्यात्मिक ऊर्जा की वैज्ञानिक विधि का बिना किसी मत, संप्रदाय, धर्म की निन्दा किए बिना प्रसार करना तथा गरीबों की सेवा के लिए अन्य क्षेत्र का संचालन करना।
5. ग्रामीणों के नैतिक, मानसिक, शैक्षिक, बौद्धिक, अध्यात्मिक, स्वास्थ्य, आर्थिक एंव सामाजिक स्तर को सुधारना।
6. सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं विश्व के समस्त देशों में किसी भाग में
धर्मशाला वृद्धाश्रम, अस्पताल, छात्रावास एवं मंदिर आदि का निर्माण कराना।
7. न्यास द्वारा संपादित कार्य कराये जाने हेतु, यह न्यास अचल सम्पत्तियाँ क्रय, विक्रय, बंधक, विनिमय, दान या पट्टा प्राप्त

हस्ताक्षर पठन कर्ता
हस्ताक्षर तुलना कर्ता

उप निबन्धक (चतुर्थ)
लखनऊ

कर सकती है एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर ब्याज अथवा बिना ब्याज के ऋण आदि लेना।

8. वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन एवं पर्यावरण, प्रदूषण के निवारण, वैकल्पिक ऊर्जा, कौशल विकास, जल एवं भूमि प्रबन्धन हेतु प्रयास करना।

9. उन सभी कार्यो को करना जो न्यास के विकास एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो।

10. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना।

11. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयो/बालिकाविद्यालयों/महाविद्यालयों/आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य व्यवसायिक कोर्स के विद्यालय की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था राज्य एवं केन्द्र सरकार के मानक के अनुसार करना।

12. ज्ञान वर्धन हितार्थ निः शुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

13. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम जागरूकता शिविर, पल्स पोलियों प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता आदि का निः शुल्क आयोजन करना।

14. महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ज़रदोजी, शिल्पकला, हस्त शिल्प ललित कला, संगीत, साहित्य, अभिनय, गायन, वादन, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, जरी चिकन, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, ज़रदोजी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, वाल पेंटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

15. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, मंद बुद्धि लोगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, बुनकरों, दस्तकारो, हस्त शिल्पियों, निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

16. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

हस्ताक्षर पक्षकार .....
हस्ताक्षर गवाह कर्ता.....

17. सामाजिक एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना।
18. युवा एवं महिला विकास हेतु समूह बनाकर विकास कार्य करना।
19. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इवाकरा, सिफसा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, कृषि विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्य करना।
20. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार-प्रसार करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।
21. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वेश्यावृति उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, गरीबी उन्मूलन, मलिन बस्ती विकास, वैज्ञानिक खोज, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, ऊसर बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, गौसरंक्षण, गौ पालन, भूमि एवं जलप्रबंधन, आपदा प्रबन्धन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
22. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा,

हस्ताक्षर पठन कर्ता.....
हस्ताक्षर तुलना कर्ता.....

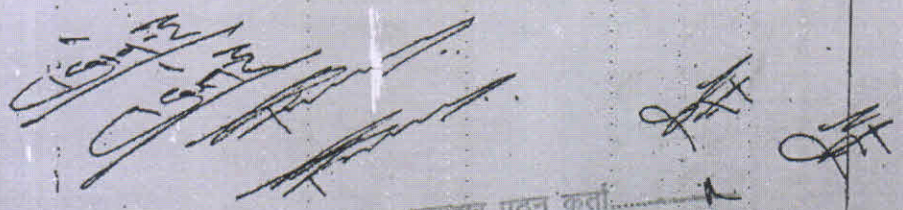

उप निबन्धक (चिटफंड)
लखनऊ

टाइप- शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

23. इंजीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना शासन की अनुमति से करना एवं शासन के आदेशानुसार शिक्षण व्यवस्था करना।

24. एड्स, कैन्सर, पोलियों, टी०बी०, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान, रोकथाम हेतु जागरुकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

25. जन हितार्थ निःशुल्क धमार्थ-चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय अनाथालय छात्रावास, व्यायाम शाला, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी आंगनबाड़ी, पार्क, सौन्दर्यीकरण अतिथि गृह आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

26. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं जल व भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों में तालाब, हैण्डपम्प, नाली, संपर्क मार्ग, सड़क, लाइट, खड़न्जा आदि की निःशुल्क व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

27. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

28. छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था करना तथा समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता, पुष्टाहार एवं शैक्षिक परिभ्रमण की व्यवस्था करना।

29. ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।

30. नयी युवा प्रतिभावों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

31. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, कमीशन, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों कुटीर उद्योगों, रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।

हस्ताक्षर पठन कर्ता......
हस्ताक्षर तुलना कर्ता......

उप निबन्धक (चिट्स)
लखनऊ

32. ट्रस्ट समय-समय पर अपने बैठकों के माध्यम से ट्रस्ट के उद्देश्यों एवम् कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार उद्देश्य एवं कार्यों को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

33. न्यूरो मानसिक एवं समस्त असाध्य रोगों की रोकथाम, बचाव हेतु प्रयास करना एवं इस हेतु नयी-नयी औषधियों आदि का अन्य संस्थाओं आदि के सहयोग से अन्वेषण करना-कराना, पेटेन्ट कराना, वितरण करना-कराना चिकित्सालय शिविर, चिकित्सालय व मोबाइल चिकित्सालय खोलना व संचालन करना, कराना, जनजागरण करना, कराना तथा सभी रोगो की रोकथाम हेतु समस्त कार्य करना, कराना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

(क) समाज उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

(ख) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

(ग) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए समिति, पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

(घ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयाँ गठित करना।

(ङ) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

(च) ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

(छ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के

हस्ताक्षर पठन कर्ता.......
हस्ताक्षर पुनः कर्ता.......

उप नियन्धक (सदर)
लखनऊ

बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में चिहिन्त करना।

(ज) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एंव संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

(झ) ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा अन्य माध्यमों से ट्रस्ट के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

(ञ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

(ट) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तक महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

(ठ) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों/महाविद्यालयों व इन्स्टीच्यूटस की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

(ड) आयकर अधिनियम 1961 की धारा-13(1) तथा धारा-11(5) एंव संबन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

(ढ) न्यासीगण की सहमति पर न्यास के अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसईटी/संगठन व संस्था का

हस्ताक्षर पंजी कर्ता.....

हस्ताक्षर तुलना कर्ता.....

उप निबन्धक (निर्दृश)

[illegible]

सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जोकि आयकर अधिनियम 1861 की धारा-80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना तथा इस ट्रस्ट का समस्त कार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

(1). ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एंव प्रधान प्रबन्धक हम मुकिर होगें और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी को नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाये तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारी में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

(2). मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा नामित ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

(3). ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत 2/3 (दो तिहाई) के आधार पर किया जायेगा तथा संस्थापक को वोट वीटो होगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का

हस्ताक्षर पठन कर्ता
हस्ताक्षर तुलना कर्ता

उप निबन्धक (चतुर्थ)
लखनऊ

निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

7. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में रिक्त की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

8. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने या ट्रस्ट में अनियमितता बरतने पर ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एंव ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रति हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

9. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं शिक्षण संस्थानों आदि के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारी नियमानुसार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियामावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं शिक्षण संस्थानों आदि के प्रबन्धा समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का आधिकार प्राप्त होगा।

10. ट्रस्ट मण्डल को कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायी नही होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगा।

11. ट्रस्ट से सम्बन्धित कार्यो के लिए मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्ट मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधी द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरो को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

12. <u>ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन-</u>

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओ/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दे दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों को वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी

हस्ताक्षर पठन कर्ता.......

हस्ताक्षर तुलना कर्ता.......

उप निबन्धक (सदर)
लखनऊ

जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता हैं।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के वर्ष भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम व निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

13 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य

1. इस ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विघालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियो को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना/लिखवाना अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठको को आमन्त्रित करना तथा सूचना, ट्रस्ट मण्डल के सदस्यो को देना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण को ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार सक्षम न्यायालय/अधिकारी से अनुमति के पश्चात हस्ताक्षरित कर विक्रय करना तथा ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने हेतु हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट की विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख़्तार नियुक्त करना।
8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारो का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टीयों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यो को करना।
9. ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट के आय -व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षा से ट्रस्ट की आय -व्यय का लेखा परीक्षण करना।
11. ट्रस्ट की वित सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख रखाव करना।
12. वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

14. ट्रस्ट की कोष की व्यवस्था

हस्ताक्षर पढ़ने कर्ता
हस्ताक्षर मुलाने कर्ता

उप निबन्धक (चतुर्थ)
लखनऊ

ट्रस्ट के कोष से सुचारू रूप से रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियां निहित होगी । ट्रस्ट के नाम से खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी एकल हस्ताक्षर से अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

15. <u>ट्रस्ट के अभिलेख</u>

ट्रस्ट के अभिलेखो को तैयार करने /कराने व रख रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर ,कार्यवाही रजिस्टर सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

16. ट्रस्ट के नियमों का संशोधन मुख्य ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर ट्रस्ट की मूल भावना को बिना प्रभावित किये समयानुसार अति आवश्यक होने पर ही उददेश्य की पूर्ति हेते संशोधन एवं नियमों में परिर्वतन तथा नियमों में शिथिलता किया जा सकता है।

17. <u>ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था</u>

ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी

1. यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उंददेश्यो की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों ,वित्तीय संस्थाओं व बैंको में दान ,सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय को बढाया जा सकेगा। इस सम्बंध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी अधिकृत होगे अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति/ अन्य ट्रस्टी जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
2. यह कि मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एंव भवन क्रय-विक्रय कर सकेंगे या किसी चल व अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकगें। मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को विधिनुसार किराये पर दे सकेगा व किराये पर ले सकेगा तथा क्रय-विक्रय कर सकेगा।
3. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुचांने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

4. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसके सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

5. ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

6. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में संस्थापक द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वंय उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

8. ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एंव पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्ते लागू होगी।

10. इस ट्रस्ट में कोई भी अचल सम्पत्ति निहित नहीं है तथा ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय के पते की सम्पत्ति इस ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है, तथा ट्रस्ट का विघटन ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत किया जायेगा, व ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय के पते को भविष्य में प्रस्ताव पास कर परिवर्तित किया जा सकेंगा।

यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक 25.06.2019 को लखनऊ में निष्पादित किया गया।

लखनऊ

दिनांक– 25.06.2019

1– गवाह

अम्बुजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

पुत्र श्री ए0पी0 श्रीवास्तव

निवासी 54 डेबल कॉलेज के पास,

सेक्टर–18 इंदिरा नगर

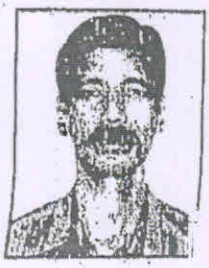

लखनऊ

हस्ताक्षर संस्थापक/आथर

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण/न्यासीगण

2– गवाह

हनुमन्त लाल

पुत्र जसवंत लाल

निवासी वार्ड–4, सुबास नगर

डुमरियागंज गंग सिद्धार्थ नगर

टाईपकर्ता

(मर्सरत अली)

निबन्धन भवन लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(बृजभान सिंह)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट लखनऊ।

9044777100

9984777100

हस्ताक्षर पठन कर्ता........

हस्ताक्षर तुलना कर्ता........

उप निबन्धक (चतुर्थ)

लखनऊ

आवेदन सं०: 201900821042169

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 366 के पृष्ठ 317 से 348 तक क्रमांक 381 पर दिनाँक 25/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश पाठक
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
लखनऊ
25/06/2019

प्रिंट करें

26 JUN 2019